निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 88/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सीता देवी पुत्री श्योराम पत्नी नारायण जाति कुम्हार, निवासी पहाडिया हाल निवासी महादेव नगर, सवाईमाधोपुर पुलिया के पास, सांगानेर, जिला जयपुर।
2. गलोल देवी पुत्री श्योराम पत्नी कैलाश जाति कुम्हार, निवासी पहाडिया हाल निवासी चांदमा कला, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण ।
3. संज्या देवी पुत्री श्योयाराम पत्नी रोडूराम जाति कुम्हार, निवासी पहाडिया हाल निवासी रेनवाल मांजी, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।

जिला कलक्टर जिला जयपुर (ग्रामीण)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राजेश मीणा आर ए एस पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण।
2. कल्याण पुत्र सूवा
3. कमला देवी पत्नी प्रभू नारायण
4. नवल किशोर पुत्र प्रभू नारायण
5. हेमराज पुत्र प्रभू नारायण

   समस्त जाति कुम्हार, निवासी पहाडिया, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।
6. कानी देवी पुत्री श्योराज पत्नी स्व. राधाकिशन जाति कुम्हार निवासी पहाडिया हाल निवासी हीरापुरा, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण ।
7. धापू देवी पुत्री श्योराम पत्नी नवरतन जाति कुम्हार निवासी पहाडिया, हाल निवासी चांदमा कला, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण ।
8. नीरू देवी पुत्री प्रभूनारायण पत्नी कालूराम जाति कुम्हार निवासी पहाडिया, हाल निवासी विनोदीलालपुरा, तहसील चाकसू, जयपुर।
9. मधु पत्री प्रभू नारायण पत्नी इन्द्रमल जाति कुम्हार निवासी पहाडिया हाल निवासी विनोदीलालपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।
10. लाली देवी पुत्री श्योराम पत्नी सीताराम जाति कुम्हार, निवासी चांदमा कला, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।
11. सूरजकरण पुत्र भंवर लाल जाति कुम्हार निवासी गोहन्दी तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण।
12. हंसा देवी पुत्री भंवर लाल जाति कुम्हार, निवासी गोहन्दी, तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर ग्रामीण।
13. तहसीलदार माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।
14. उप तहसीलदार रेनवाल मांझी, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

15. उप पंजीयक रेनवाल मांजी, जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 51/2024 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 38/2024 ब उनवानी सीतादेवी व अन्य बनाम कल्याण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री अर्जुन लाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर दाधीच अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 51/2024 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 38/2024 ब उनवानी सीतादेवी व अन्य बनाम कल्याण व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवता श्री चन्द्र शेखर दाधीच ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 28.05.2024 को प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित हुई तो अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठा था, अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण को न्यायालय में देखकर चैम्बर से बाहर आकर प्रार्थीगण को धमकी दी कि मेरी एस डी ओ साहब से बात हो चुकी है और वह शीघ्र ही तुम्हारे पक्ष में जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश को खारिज करवा कर उक्त वाद ग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग में जो रास्ता चालू है उस पर पुख्ता मकान का निर्माण कार्य करके रहूंगा । तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते हो। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा उक्त घटना की जानकारी पीठासीन अधिकारी को दी गई जिस पर पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीगण को कहा कि मेरे उपर राजनैतिक दबाव है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मै उक्त प्रकरण में जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश को शीघ्र ही खारिज करूंगा । माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नही होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2. के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा है जिस वजह से प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहती है । येनकेन प्रकारेण प्रकरण को लम्बित रखना चाहती है। इस कारण से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

फलश्रुति आज दिनांक 15.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)